

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 25/2021- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

सा.का.नि..... (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, द्वितीय परंतुक में, "मई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर "जुलाई 2021 के 31वें दिन" अंकों, अक्षरों और शब्दों रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना मई 2021 के 31वें दिन से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, को सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. 10/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 01 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 306(अ), तारीख 01 मई, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।